

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
14/17	28-89, 91, 53, 188	कान्हीरा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मदन लाल	बनाम	अनारि शर्मा	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
10/17	वकील द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 28-89, 91, 53, 188 विरुद्ध उपजिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट सरिस्का का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज। मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य सम्पन्न। उति. 18/8/17। तलय छबड़ा प्रकरण दिनांक 15/7/17 को पेश हो।	
17/17	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य व्यस्त होने के कारण पीठासीन स्थिति में दिनांक 2-4/7/17 को पेश हो।	
24/17	वकील वादी उति. प्रतिवादी को ले सम्पन्न तारीख 28/8/17 को पेश हो।	
11/17	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य व्यस्त होने के कारण पीठासीन स्थिति में दिनांक 3-10-17 को पेश हो।	3/17 पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पीठासीन स्थिति में दिनांक 2/11/18 को पेश हो।
2/18	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य व्यस्त होने के कारण पीठासीन स्थिति में दिनांक 6/2/18 को पेश हो।	2/18 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पीठासीन स्थिति में दिनांक 6-3-18 को पेश हो।
6/18	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य व्यस्त होने के कारण पीठासीन स्थिति में दिनांक 3/4/18 को पेश हो।	
3/18	वकील वादी उति. प्रतिवादी को ले सम्पन्न तारीख 1/5/2018 को पेश हो।	

AGS BDR
2018

8¹⁰/₂₁

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

शिविर...खा.पर...पर पत्रावली पेश

हुई। प्रशासन उपस्थित/अनुपस्थित।

कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली

न्यायालय में दिनांक...13/1/22

को पेश हो।

24⁷/₂₂

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक...30/3/22...को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

30⁰³/₂₂

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक...18/5/22...को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

18⁰⁵/₂₂

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक...05/7/22...को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

5⁷/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची अनुपस्थित।
प्रकरण में तीस बार आवक लगाई गई। कोई
उपस्थित नहीं। प्रकरण अदालत दायरे अदालत
पेश की रकम रिज किया जाता है। पत्रावली
मिसल शुमार डायरी दाखिल दफतर है।